



# कमिश्नरेट वाराणसी

## प्रेस नोट

दिनांक- 08-12-2025

“ऑपरेशन कनविक्शन”

थाना- शिवपुर

जनपद में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के क्रम में कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ अतिरिक्त न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट III वाराणसी द्वारा अभियुक्त मुकेश कुमार यादव को **10 वर्ष सश्रम कारावास** एवं **50 हजार रुपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रदेश भर में चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कनविक्शन” के अन्तर्गत पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा निरंतर समीक्षा और मार्गदर्शन दिया जा रहा है। कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना व लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से थाना शिवपुर में पंजीकृत मु०अ०सं० ०२७४/२०१५ धारा ३७६ भादवि व ५/६ पाक्सो एक्ट में आज दिनांक 08.12.2025 को मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ अतिरिक्त न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट III वाराणसी द्वारा साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त मुकेश कुमार यादव पुत्र गुलाब प्रसाद निवासी लोढ़ान थाना शिवपुर वाराणसी को **10 वर्ष सश्रम कारावास** एवं **50 हजार रुपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोग उपरोक्त में अभियुक्त को सजा दिलाने में कमिश्नरेट वाराणसी के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।



श्री संदीप कुमार जायसवाल  
विशेष लोक अभियोजक  
पॉक्सो ३



निरीक्षक विजय कुमार  
चौरसिया, विवेचक



का० मयंक कुमार गोंड़,  
पैरोकार थाना शिवपुर



का० विनोद कुमार पाण्डेय,  
कोर्ट मोहर्रिं